.य उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

अन्तिम डिक्री

वाद संख्या 190/18	धारा अंतर्गत 53 RTA	निर्णय दिनांक 24.11.21
समक्ष - श्री डिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बारां		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी श्री ओम भारद्वाज		अभिभाषक प्रतिवादी

वाद शीर्षक

1. कैलाशबाई बेवा स्व. कन्हैयालाल जाति मीणा नि. हरिपुरा तह. बारां
2. मुकेश पुत्र स्व. कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी हरिपुरा तह. बारां
3. सोनू पुत्र स्व. कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी हरिपुरा तह. बारां

बनाम

1. ढाखाबाई पत्नी जगन्नाथ जाति मीणा नि. हरिपुरा तह. बारां
2. कृष्णमोहन पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा नि. हरिपुरा तह. बारां
3. हेमराज पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा नि. हरिपुरा तह. बारां
4. रतनलाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा नि. हरिपुरा तह. बारां
5. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है।-

नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	हिस्सा
1. कैलाशबाई बेवा कन्हैयालाल, मुकेश पुत्र कन्हैयालाल, सोनू पुत्र कन्हैयालाल जाति मीणा नि. हरिपुरा (बारां)	124	0.59	पश्चिमी
	कि 164	0.22	
	कि 125	0.66	पूर्वी
	कुल किता 3	1.47	
2. रतनलाल पुत्र कंवरलाल हि. 1/2 रहन- पूना बैंक बारां, कृष्णमोहन पुत्र जगन्नाथ हि. 1/4, हेमराज पुत्र जगन्नाथ हि. 1/4 रहन:- कड़ोद, रा. के. ग्रा. बैंक बारां	123	0.51	
	कि 125	1.81	
	145	0.18	
	कि 164	0.44	
	373	0.01	
	किता 5	2.95	

उपरोक्तानुसार विवादित आराजी मौजा ग्राम हरिपुरा का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन कर राजस्व रिकार्ड के अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है। को प्रदान किया जाए।
साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 24.11.21 को निर्गत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:41:17 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
बारां
हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी, बारां

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		

Scanned with CamScanner

निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या ए 190 / 18 दावा
दायरा दिनांक :– 15.11.2018
निर्णय दिनांक :– 27.9.21

उनवान

1. कैलाशबाई बैवा स्व0 कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी हरिपुरा तहसील बारां जिला बारां
2. मुकेश पुत्र स्व0 कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी हरिपुरा तहसील बारां जिला बारां
3. सोनू पुत्र स्व0 कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी हरिपुरा तहसील बारां जिला बारां

बनाम

1. दाखाबाई पत्नि जगन्नाथ जाति मीणा निवासी हरिपुरा तहसील बारां जिला बारां।
2. बृजमोहन पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी हरिपुरा तहसील बारां जिला बारां।
3. हेमराज पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी हरिपुरा तहसील बारां जिला बारां।
4. रतनलाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी हरिपुरा तहसील बारां जिला बारां।
5. राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां।

वाद अन्तर्गत धारा 53, आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :– 27.9.21

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री ओम भारद्वाज – वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया, कि वाके माल ग्राम हरिपुरा तहसील बारां में खातेदार कमलाबाई हिस्सा 1/9, दाखाबाई हिस्सा 1/9 बृजमोहन हिस्सा 1/9, मुकेश हिस्सा 1/9, सोनू हिस्सा 1/9, हेमराज हिस्सा 1/9 एवं रतनलाल हिस्सा 1/3 से निम्नानुसार आराजियात दर्ज है। ख0नं0 123 रकबा 0.51 है0, ख0नं0 124 रकबा 0.59 है0, ख0नं0 125 रकबा 2.47 है0, ख0नं0 145 रकबा 0.18 है0, ख0नं0 164 रकबा 0.66 है0, ख0नं0 373 रकबा 0.01 है0 कुल किता 6 रकबा 4.42 है0 दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:41:17 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

उक्त विवादित भूमि में वादीगण का 1/3 हिस्सा प्रति0 क्रम 4 रतनलाल का 1/3 हिस्सा एवं शेष प्रतिवादी क्रम 1ता 3 का 1/3 हिस्सा है। उक्त वर्णित भूमि के सयुंक्त खातेदारी में होने से वादीगण अपनी भूमि का बेहतर विकास, सुधार नहीं कर पा रहे है तथा अकारण वादी एवं प्रतिवादी सहखातेदारी के मध्य विवाद होते है।यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण से विवादित भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु अनुरोध किया किन्तु प्रतिवादीगण इन्कारी है।वादीगण विवादित भूमि में अपना 1/3 हिस्सा तनहा रूप से प्रथक करवाकर अलग से लगान, रकबा कायम करवाने के अधिकारी एवं नालिशी है। वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी गण को जर्ये समन तलब किया गया। प्रति वादी बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। वादीया ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम हरिपुरा सम्वत 2070–73 खाता सं0 114 पेश की गई। साक्ष्य वादी में कैलाश बाई का शपथ–पत्र पेश किया।

बहस अभिभाषक वादीया एक तरफा सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अकिंत तथ्यों को दोहराया गया। बहस के दौरान वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम हरिपुरा तहसील बारां में स्थित है। वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1ता 3 का हिस्सा 1/9, 1/9 दर्ज है तथा प्रतिवादी क्रम 4 का हिस्सा 1/3 है वादीगण अपने हिस्सा का पृथक–पृथक विभाजन करा कर अलग खाते करवाना चाहते है। विवादित भूमि में वादी का 1/3 एवं प्रतिवादी क्रम 1ता3 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी क्रम 4 का 1/3 हिस्सा है। वादीगण एवं प्रतिवादी गण के मध्य विवादित आराजी का हिस्से अनुसार प्रथक–प्रथक विभाजन कर अलग खातेदारी दर्ज की जावे। जिससे पक्षकारान के मध्य हमेशा के लिए विवाद समाप्त हा जावे। वादी गण का वाद स्वीकार किया जावे।

बहस अभिभाषक वादी एक तरफा सुनी गई। पत्रावली एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी वाके ग्राम हरिपुरा सम्वत 2070–73 खाता सं0 114 के अनुसार वादीगण का 1/9, 1/9 हिस्सा एवं प्रतिवादी क्रम 1ता3 का 1/9, 1/9 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। एवं प्रतिवादी क्रम 4 का हिस्सा 1/3 दर्ज रिकॉर्ड है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपना–अपना हिस्सा अलग–अलग बंटवारा कराकर अलग खातेदारी में दर्ज करवाना चाहते है। प्रस्तुत रिकॉर्ड एवं पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपना–अपना हिस्सा पृथक–पृथक [illegible] कराकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहते है। वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:41:17 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम हरिपुरा तहसील बारां की आराजी खं0 नं0 123 रकबा 0.51 है0, खं0नं0 124 रकबा 0.59 है0, खं0नं0 125 रकबा 2.47 है0, खं0नं0 145 रकबा 0.18 है0, खं0नं0 164 रकबा 0.66 हे0, खं0नं0 373 रकबा 0.01 है0 भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हिस्से अनुसार पृथक–पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार, बारां को आदेशित किया जाता है। तद्नुरूप प्राथमिक डिर्की पर्चा जारी हो

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:41:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

प्राथमिक डिक्री

वाद संख्या 190/18	धारा अन्तर्गत ,53 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक : 27.09.2021
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादीः– श्री ओम भारद्वाज	अभिभाषक प्रतिवादीः–	

वाद शीर्षक

उनवान

1. कैलाशबाई बैवा स्व0 कन्हैयालाल जाति मीणा निवारी हरिपुरा तहसील बारां जिला बारां
2. मुकेश पुत्र स्व0 कन्हैयालाल जाति मीणा निवारी हरिपुरा तहसील बारां जिला बारां
3. सोनू पुत्र स्व0 कन्हैयालाल जाति मीणा निवारी हरिपुरा तहसील बारां जिला बारां

बनाम

1. दाखाबाई पत्नि जगन्नाथ जाति मीणा निवारी हरिपुरा तहसील बारां जिला बारां।
2. बृजमोहन पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवारी हरिपुरा तहसील बारां जिला बारां।
3. हेमराज पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवारी हरिपुरा तहसील बारां जिला बारां।
4. रतनलाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवारी हरिपुरा तहसील बारां जिला बारां।
5. राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां।

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम हरिपुरा तहसील बारां की आराजी ख0 नं0 123 रकबा 0.51 है0, ख0नं0 124 रकबा 0.59 है0, ख0नं0 125 रकबा 2.47 है0, ख0नं0 145 रकबा 0.18 है0, ख0नं0 164 रकबा 0.66 हे0, ख0नं0 373 रकबा 0.01 है0 भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हिस्से अनुसार पृथक–पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार, बारां को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रु0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक, 27.09.2021 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला–बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:41:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner